

बनाम

1. श्री माखन लाल राठौर पुत्र श्री श्यामलाल राठौर, पता- 498 केलवाड़ा, तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान- 325216, दूसरा पता- पट्टा नं. 22, खसरा नं. 340, केलवाड़ा तहसील शाहाबाद जिला बारां, राजस्थान- 325216 (ऋणी- बंधककर्ता)
2. श्री नीरज कुमार राठौर पुत्र श्री माखन लाल राठौर, पता- 498 केलवाड़ा, तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान- 325216, (सह-ऋणी)
3. श्रीमती गीताबाई राठौर पत्नि श्री माखन लाल राठौर, पता- 498 केलवाड़ा, तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान- 325216, (सह-ऋणी)
4. श्री सूरजमल मेहता पुत्र श्री प्रहलाद मेहता, पता- किराड मोहल्ला, कलोनिया (Kaloniya) बारां, राजस्थान- 325216 (जमानती)

किस्म मुकदमा - प्रा0 पत्र सरफेसी एक्ट, 2002 (विविध)

मुकदमा नम्बर:- 16/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.09.2022	<p>प्रार्थी की ओर से जर्जे अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 " आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड" (जो पूर्व हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय- 201-202, द्वितीय तल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर- 302020 में स्थित व कार्यरत है, द्वारा पेश किया गया।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30.09.2022 को पेश हों।</p> <p>11/9/23 पत्रावली स्वयं क्रिये लागू पर आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित/ वकील प्रार्थी ने प्रार्थन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को इसी स्तर पर निरस्त कर देते हैं। निवेदन किया/ प्रा. पत्र शा. फा. 28। न्यू वकील प्रार्थी प्रकरण को भागी नहीं बनने चाहते हैं। अतः प्रकरण इसी स्तर पर स्वारीज किया जाते है। पत्रावली फेसल शुभार होकर नंबर से कम हो। बाद तामील त्रिनिटी के अक्टिव हो। आदेश सुनना गप्प</p>	